झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

पत्रांक– 962(5)

रांची, दिनांक– 14.09.2023

DPC 16.9.23

8866 16/9/2023

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय:– झारखण्ड राज्य में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को नगण्य बनाने के क्रम में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिले की प्रत्येक पंचायत में कम से कम दो ममता वाहन का निबंधित **(Registered)** करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय संकल्प संख्या–74(5) दिनांक 18.01.2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा राज्य में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को नगण्य बनाने के क्रम में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन हेतु ममता वाहन एवं बाईक एम्बुलेंस के सुचारू संचालन तथा राज्य योजना मद से पूर्व में स्वीकृत राशि में वृद्धि करने के संबंध में निर्णय संसूचित किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) की झारखण्ड राज्य में 15 अगस्त 2011 को शुरूआत की गयी थी।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं को निःशुल्क दवा, भोजन, जाँच, रक्त एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

3. झारखण्ड राज्य के भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए ममता वाहन को सुचारू रूप से चलाना अति आवश्यक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत निःशुल्क रेफरल परिवहन के रूप में ममता वाहन का उपयोग किया जाता है। निःशुल्क रेफरल परिवहन सेवा के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक के बीमार बच्चों को घर से अस्पताल लाने एवं अस्पताल से वापस घर जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है।

4. निम्नवर्णित लाभान्वितों के द्वारा ममता वाहन का उपयोग किया जाना है:

(क) गर्भवती महिला तथा जटिल प्रसव से संबंधित समस्या वाली महिलाएं / प्रसव के 42 दिन के अंदर प्रसव संबंधित समस्या वाली महिला।

(ख) बीमार बच्चा (जन्म से एक वर्ष तक)

(ग) अपूर्ण / अधूरी गर्भपात वाली महिला।

5. झारखण्ड राज्य में कुल 4254 पंचायत हैं। प्रत्येक पंचायत की गर्भवती महिलाओं तथा लक्षित वर्ग के बीमार बच्चों को ससमय स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक पंचायत में कम से कम दो ममता वाहन होने चाहिए, किन्तु अभी तक राज्य में कुल ममता वाहनों की संख्या 1627 है। निरंतर प्रयास के पश्चात् भी ममता वाहन की संख्या में समुचित बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है।

6. ममता वाहन की सेवाएँ सीधे तौर पर लाभान्वितों को ससमय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में राज्य स्तर पर 104 ममता वाहन कॉल सेन्टर 24x7 कार्यरत है किन्तु वाहनों की कमी के कारण सभी लाभार्थियों को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क परिवहन का ससमय लाभ नहीं मिल पा रहा है।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि राज्य के प्रत्येक जिले की प्रत्येक पंचायत में कम से कम दो ममता वाहन की सेवाएँ उपलब्ध हों।

8. उल्लेखनीय है कि ममता वाहन के चयन एवं संचालन के संबंध में प्रसंगाधीन संकल्प की कंडिका 18.3 से 18.22 तक विस्तृत निदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके आलोक में अनुरोध है कि आपकी अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक अविलम्ब आयोजित करते हुए अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए ममता वाहनों का यथा निर्धारित लक्ष्य (परिशिष्ट-I) के अनुसार निबंधन करते हुए निम्नांकित समय सारणी के अनुसार आवेदन आमंत्रण, अंतिमिकरण एवं निबंधन सुनिश्चित कराया जाए -

क्र0	की जाने वाली कार्रवाई	निर्धारित तिथि
1.	ममता वाहन निबंधन हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना	20.09.2023 तक
2.	आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि	05.10.2023 तक
3.	आवेदनों का अंतिमिकरण	12.10.2023 तक
4.	चयनित ममता वाहनों संचालकों / स्वामियों के साथ एकरारनामा	20.10.2023 तक
5.	ममता वाहन संचालकों का प्रशिक्षण	21.10.2023 - 31.10.2023
6.	ममता वाहन की तैनाती	31.10.2023 तक

9. प्रसंगाधीन बैठक में ममता वाहन के संचालन से संबंधित समस्त हितधारकों, यथा-परिवहन विभाग के पदाधिकारी, जिले में परिवहन सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी वाहन चालक / वाहन स्वामी, आदि को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाए तथा दिनांक 20.10.2023 तक अपने जिले की प्रत्येक पंचायत में कम से कम दो ममता वाहनों का निबंधन एवं संचालन सुनिश्चित कराया जाए।

कृपया इसे महत्वपूर्ण समझें।

विश्वासभाजन,

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 962(5)/ रॉंची, दिनांक– 14.09.2023

प्रतिलिपि –अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, झारखण्ड/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.23

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 962(5)/ रॉंची दिनांक– 14.09.2023

प्रतिलिपि डॉ० लाल माझी, नोडल पदाधिकारी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)/डॉ० पुष्पा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि प्रत्येक जिले में ममता वाहन के चयन, निबंधन एवं संचालन संबंधी व्यवस्था से अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक सोमवार को निश्चित रूप से अवगत कराया जाए।

9.23

अपर मुख्य सचिव

Status- Mamta Wahan				
District	**Number of Panchyat**	**Current Status**	**Vacant Panchayat**	**Mamta Vahan Target**
Bokaro	249	99	150	300
Chatra	194	133	61	122
Deoghar	239	38	201	402
Dhanbad	206	52	154	308
Dumka	198	45	153	306
Purbi-Singhbhum	161	80	81	162
Gharwha	159	82	77	154
Giridih	189	0	189	378
Godda	352	93	259	518
Gumla	118	69	49	98
Hazaribagh	106	97	9	18
Jamtara	115	66	49	98
Khunti	66	40	26	52
Koderma	128	10	118	236
Latehar	249	75	174	348
Lohardaga	163	46	117	234
Pakur	132	23	109	218
Palamu	94	64	30	60
Ramgarh	217	44	173	346
Ranchi	251	61	190	380
Sahebganj	125	103	22	44
Saraikela-Kharsawan	152	62	90	180
Simdega	305	5	300	600
Pashchimi-Singhbhum	86	42	44	88
Total	4254	1429	2825	5650

झारखण्ड सरकार पत्रांक - 74(5), दिनांक - 18.01.2023

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन हेतु ममता वाहन एवं बाईक एम्बुलेंस के सुचारू संचालन तथा राज्य योजना मद से पूर्व में स्वीकृत राशि में वृद्धि के संबंध में।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) का आरंभ 01 जून, 2011 को हरियाणा के मेवात में हुआ। झारखण्ड राज्य में इस योजना की शुरूआत 15 अगस्त, 2011 को की गयी थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं को निःशुल्क दवा, भोजन, जाँच, रक्त एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

झारखण्ड राज्य के भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए ममता वाहन को सुचारू रूप से चलाना अति आवश्यक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत निःशुल्क रेफरल परिवहन के रूप में ममता वाहन का उपयोग किया जाता है। निःशुल्क रेफरल परिवहन सेवा के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक के बीमार बच्चों को घर से अस्पताल लाने एवं अस्पताल से वापस घर जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है।

2. उल्लेखनीय है कि निम्नवर्णित लाभान्वितों के द्वारा ममता वाहन का उपयोग किया जाना है :

(क) गर्भवती महिला तथा जटिल प्रसव से संबंधित समस्या वाली महिलाएँ/प्रसव के 42 दिन के अंदर प्रसव संबंधित समस्या वाली महिला।

(ख) बीमार बच्चा (जन्म से एक वर्ष तक)

(ग) अपूर्ण/अधूरी गर्भपात वाली महिला।

3. झारखण्ड राज्य में कुल 4254 पंचायत हैं। प्रत्येक पंचायत की गर्भवती महिलाओं तथा लक्षित वर्ग के बीमार बच्चों को ससमय स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक पंचायत में कम से कम दो ममता वाहन होने चाहिए, किन्तु अभी तक राज्य में कुल ममता वाहनों की संख्या 1627 है। निरंतर प्रयास के पश्चात् भी ममता वाहन की संख्या में समुचित बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है।

4. ममता वाहन की सेवाएँ सीधे तौर पर लाभान्वितों को ससमय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में ममता वाहन कॉल सेन्टर जिला स्तर पर संचालित हो रहा है। कॉल सेन्टर 24x7 कार्यरत हैं किन्तु वाहनों की कमी के कारण सभी लाभार्थियों को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क परिवहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही, कॉल सेन्टर में अगर फोन ड्यूटी ऑपरेटर अनुपस्थित है, तब कॉल सेन्टर का उपयोग नहीं हो पा रहा है और लाभुकों के पास 108 की सेवाओं का उपयोग करने का ही विकल्प बचता है।

5. ममता वाहन सेवा के संबंध में कोई ठोस एवं प्रभावी नीति नहीं होने के फलस्वरूप राज्य में संचालित ममता वाहनों की संख्या राज्य में अवस्थित पंचायतों की संख्या का मात्र 38% है, जिसमें विगत वर्षों के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है :

क्रमांक	वर्ष	पंचायत (संख्या)	कुल संचालित वाहन (संख्या)
1.	2019–20	4254	1312
2.	2020–21	4254	1512
3.	2021–22	4254	1629
4.	2022–23	4254	1627

6. यह भी पाया जा रहा है कि संचालित किये जा रहे ममता वाहनों को ससमय भुगतान नहीं हो पाता है, जिसके निम्नवत् कारण चिन्हित किए गए हैं :

i. ममता वाहन का भुगतान PFMS के माध्यम से Online banking के द्वारा किया जाता है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति में काफी समय लगता है।

ii. कभी–कभी समुचित राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण भी ममता वाहन के भुगतान में विलम्ब होता हैं।

7. यह भी प्रकाश में आया है कि राज्य में मातृ एवं धात्री महिलाओं के द्वारा 108 एम्बुलेंस सेवा का भी समय–समय पर उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ममता वाहनों की अपेक्षा काफी अधिक व्यय होता है। उल्लेखनीय है कि 108 एम्बुलेंस सेवा का मातृ एवं धात्री महिलाओ के द्वारा विशेष परिस्थिति में ही उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

8. विगत वर्षों के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवाओं का मातृ एवं धात्री सेवा की निम्नवत् तालिका से स्पष्ट होगा :

क्रमांक	वर्ष	उपयोग (संख्या)
1	2018–19	72688
2	2019–20	99211
3	2020–21	87452
4	2021–22	71517

9. उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 70 हजार के करीब लाभुक 108 की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा में Basic Life Support (BLS) एम्बुलेंस का 1,10,000/– रूपए प्रति माह दर आता है, जबकि एम्बुलेंस के द्वारा एक माह में 90 Trip तय किए जाने का प्रावधान है और एक Trip की गणना 40 किलो मीटर होती है, अर्थात् 108 एम्बुलेस के उपयोग करने से प्रति किलोमीटर लगभग 30.55 रूपए खर्च होते हैं।

79(5)
18.01.2023

10. वर्ष 2011–12 में ममता वाहन संचालन व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रति लाभार्थी 1000/ (एक हजार रूपये) का प्रावधान किया गया था परंतु वर्ष 2016–17 में यह राशि घटाकर प्रति लाभार्थी 500/–(पाँच सौ रूपये) तक सीमित कर दी गयी ।

11. Sustainable development Goal (SDG)के अनुसार झारखण्ड में MMR, NMR, ANC, Institutional delivery एवं PNC के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। मातृ मृत्यु दर (MMC) एवं संस्थागत प्रसव (Institutional delivery) में सुधार हेतु प्रभावी ममता वाहन की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है :

	National				Jharkhand current scenario
Indicator	Current scenario	Target for 2022	Target for 2025	Target for 2030	
Maternal Mortality Ratio (MMR)	112	175	120	90	61
Infant Mortality rate (IMR)	28	30	28	26	25
NMR	21	21	19	10	19
Institutional Delivery (%)	61.9	70	90	95	70 (April to Sep 22)
ANC registration within 1st trimester (%)	52	62	80	90	77 (April to Sep 22)
Full ANC Check up (%)	8	20	55	80	102 (April to Sep 22)
Post natal check up (within 48hrs of delivery)	44.4	60	75	90	75 (April to Sep 22)

12. योजना प्राधिकृत समिति के स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6/पी0(नई यो0)–01–18–306 दिनांक 05.03.2018 के द्वारा स्थापित वर्तमान व्यवस्था के तहत झारखण्ड राज्य में ममता वाहन के लिए निम्न वर्णित प्रावधान किए गए थे :–

- (क) घर से अस्पताल जाने हेतु:–प्रथम 06 कि0मी0–300/–रूपया, उसके बाद प्रति कि0मी0 09/–रूपया।
- (ख) अस्पताल से वापस घर जाने के लिए 09/–रूपया प्रति कि0मी0 की देयता।
- (ग) प्रति लाभार्थी रू0 500/–की सीमा, जिससे घर से अस्पताल, अस्पताल से दूसरे अस्पताल एवं अस्पताल से घर की यात्रा का आच्छादन।

74.(5)
18.01.2023

13. झारखण्ड राज्य के भौगोलिक परिदृश्य में वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है क्योंकि अधिकतम राशि 500 रूपये से मात्र 26 कि0मी0 दूरी ही तय हो सकती है अर्थात् 13 कि0मी0 तक की दूरी के लिए आने जाने की सुविधा निःशुल्क देय है।

14. झारखण्ड राज्य में ज्यादातर प्रखण्ड में 13 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में 500/–रू0 प्रति लाभार्थी की सीमा किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं होता है। इसके कारण "ममता वाहन" सेवा प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही है।

15. विभिन्न राज्यों में "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" अन्तर्गत दी जाने वाली नि:शुल्क परिवहन सेवा का अध्ययन करने के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि झारखण्ड राज्य मे अन्य राज्यों की अपेक्षा ममता वाहन का प्रतिपूर्ति दर कम है।

वित्तीय वर्ष 2022–24 में भारत सरकार से प्राप्त RoP मे ममता वाहन संचालन हेतु प्रति लाभार्थी 750 रूपया अनुमोदित है।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त दर तालिका निम्नवत् है:–

State	Rate	प्रति कि0 मी0 दर (रूपया)	Source
Jharkhand	750 Rs per beneficiary for travel to facility. Pregnant women also receive 108 ambulance services to reach to the facility.	12.65	ROP 22-24
Chhattisgarh	Through 102 services at market discovered Rate. Opex cost only. (**Mahtari Express**) Rs. 80000 per ambulance per month for 380 ambulances.	22.22	ROP 21-22
Bihar	Through 102 (Omini, Bolero -1.00 L per month for BLS and 10 Rs per km, Force BLS- 1.35 Lakhs per month) and 108 service.	(500 Rs per beneficiary) 27.77	ROP 22-24
Gujarat	BLS Ambulance –Rs.1, 10,000/- per vechile.	30.55	ROP 21-22

16. उपरोक्त तालिका की विवेचना से स्पष्ट है कि ममता वाहन मार्गदर्शिका को एक विस्तृत रूप देते हुए नए सिरे से कियान्वयन कराए जाने की आवश्यकता है।

17. उपरोक्त के आलोक में ममता वाहन के कियान्वयन हेतु निम्न वर्णित कार्रवाई की जाऐगी :

17.1. एकीकृत कॉल सेन्टर की स्थापना करना।

17.2. ममता वाहन की संख्या में बढोत्तरी करना।

17.3. ममता वाहन का भुगतान paper based के बदले App based माध्यम से करना एवं बैंकिंग प्रणाली के साथ integration करना।

17.4. प्रत्येक ममता वाहन में GPS Install कराना।

17.5. प्रत्येक ममता वाहन की Branding करते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

17.6. पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में उतार–चढाव के मद्देनजर रखते हुए समय–समय पर अधिकतम सीमा के अन्दर दर निर्धारण हेतु विभाग को प्राधिकृत करना।

18. <u>एकीकृत कॉल सेन्टर की स्थापना</u>

74(5)
18.01.2023

18.1. ममता वाहन की सेवाएँ तत्परतापूर्वक सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के निमित्त राज्य स्तर पर 104 एकीकृत कॉल सेन्टर की स्थापना की जाएगी जिसके द्वारा विभिन्न जिलों के लाभुकों को 24X7 सेवाएँ प्रदान की जायेंगी।

18.2. ममता वाहन उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में स्थापित जिला स्तरीय कॉल सेन्टर के अन्तर्गत सम्प्रति स्वीकृत 96 पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के द्वारा जिला स्तर से भी ममता वाहन संचालन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जायेंगी।

ममता वाहन का चयन एवं संचालन

18.3. वर्तमान में चल रहे सभी ममता वाहन को पुनः नयी प्रक्रिया के तहत स्वतः सम्मिलित किया जाएगा।

18.4. ममता वाहन हेतु सरकारी एम्बुलेंस का उपयोग किया जा सकता है। उक्त वाहन के संचालन से प्राप्त राशि संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित "रोगी कल्याण समिति" को देय होगी।

18.5. अगर ममता वाहन किसी एन0 जी0 ओ0 के द्वारा संचालित है तो उक्त वाहन के संचालन से प्राप्त राशि संबंधित एन0 जी0 ओ0 को देय होगी।

18.6. अगर ममता वाहन किसी विधायक/सांसद मद से संचालित है तो उक्त वाहन के संचालन से प्राप्त राशि संबंधित कियान्वयन एजेंसी को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

18.7. किसी भी निजी या व्यवसायिक चार चक्का वाहन का ममता वाहन हेतु उपयोग किया जा सकता है। सभी निजी चार चक्का वाहन जैसे– बोलेरो, मारूती वैन इत्यादि को ममता वाहन के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी निजी वाहन के द्वारा ममता वाहन की सेवाएँ आपातकालीन स्थिति में ही अपवाद स्वरूप प्रदान की की जायेंगी।

18.8. वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए। वाहन का पंजीकरण कराते समय वाहन पाँच वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।

18.9. सभी वाहन में अनिवार्य रूप से जी0पी0एस0 अधिष्ठापन तथा इससे संबंधित App का भी अधिष्ठापन किया जाएगा। सरकारी एम्बुलेंस में "रोगी कल्याण समिति" द्वारा जी0पी0एस0 का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाएगा।

18.10. किसी जिले में ममता वाहन की सेवाएँ प्रदान करने हेतु ममता वाहनों की सख्या पर कोई रोक नहीं रहेगी ताकि अधिक से अधिक संख्या में ममता वाहन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के समस्त लाभान्वितों को ससमय परिवहन सेवाएँ उपलब्ध करा सकें।

74(5)
18.01.2023

18.11. किसी व्यवसायिक चार चक्का वाहन के ममता वाहन के रूप में पंजीकरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा, जिसे अधिकतम एक सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकार के स्तर से अनुमोदित करते हुए ऐसे वाहनों से सेवाएँ विधिवत् प्राप्त की जा सकेंगी।

18.12. सभी आवेदन online प्राप्त किए जाएँगे। ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में हस्तलिखित आवेदन भी दिया जा सकता है। हस्तलिखित आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात प्रभारी चिकित्सा

पदाधिकारी/ सिविल सर्जन को यह दायित्व होगा कि प्राप्त आवेदन को onli[ne]
प्रक्रिया के द्वारा अपलोड करते हुए एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करें।

18.13. संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन के द्वारा ममता वाहन संचालन के प्राप्त आवेदन के सत्यापन उपरांत ममता वाहन को चयन किया जाएगा।

18.14. संबंधित ड्राईवर का ड्राईविंग लाईसेंस, गाडी का Third party ईन्श्योरेंस, गाडी का रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रदान करनी होगी।

18.15. ममता वाहन ड्राईवर के पास Android Phoneका Internet की सुविधा के साथ उपलब्ध होना अनिवार्य है।

18.16. भुगतान हेतु कि० मी० की गणना तत्समय स्थिति को देखते हुए Actual reading से तय किया जाएगा।

18.17. ममता वाहन मालिक "ममता वाहन" के कार्यों के अलावा किसी अन्य कार्य में भी इस वाहन का प्रयोग कर सकते हैं।

18.18. ममता वाहन पर स्पष्ट रुप से मोटे अक्षरों में ममता वाहन अंकित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, ममता वाहन से संबंधित Logo लगा होना अनिवार्य है (परिशिष्ट–I)।

18.19. प्रत्येक ममता वाहन में निम्न वर्णित उपकरण/सामग्री की उपलब्धता वाहन मालिक के द्वारा अपने खर्च पर सदैव सुनिश्चित की जाएगी :

i. नीली बत्ती,
ii. साईरन,
iii. टार्च,
iv. एमरजेंसी लाईट,
v. स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता,
vi. Disposable delivery kit,
vii. Cotton,
viii. Bandage,
ix. First Aid Box,
x. Swab,
xi. मास्क,

18.20. <u>ममता वाहन चालक का प्रशिक्षण प्रदान करना</u>

सभी ममता वाहन चालकों को प्राथमिक उपचार तथा Basic Life Support का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संरचनाओं के माध्यम से पंजीकरण अधिकतम 15 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा।

18.21. <u>ममता वाहन की Branding एवं प्रचार–प्रसार</u>

सभी ममता वाहन राज्य के द्वारा तय किये गये विशिष्ट Branding LOGO का इस्तेमाल करेंगे। ममता वाहन सुविधाओं का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि आमजनों को इस सेवा की जानकारी प्राप्त हो सके एवं उनके द्वारा इसका भरपूर लाभ उठाया जा सके।

74 (5)
18.01.2023

18.22. किसी सड़क दुर्घटना एवं अन्य दुर्घटना होने की स्थिति में घायल व्यक्तियों को स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुँचाने हेतु ममता वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिस क्रम में

अनुमान्य राशि का भुगतान ममता वाहन मद से तत्काल करते हुए कालक्रम में सुसंगत मद से प्रतिपूर्त्ति कर ली जाएगा।

20. ममता वाहन उपयोग करने की प्रक्रिया

20.1 निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा ममता वाहन की सेवा प्राप्त की जा सकती है:–

(i) ममता वाहन की सुविधा प्राप्त करने के लिए 104 कॉल सेन्टर पर कॉल कर सकते हैं।

(ii) मोबाईल आधारित App के द्वारा ।

(iii) जिला स्तरीय कॉल सेन्टर पर कॉल के द्वारा।

20.2 ममता वाहन की सेवा प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला के पास Mother and Child Protection (MCP) कार्ड होना चाहिए।

21. ममता वाहन के भुगतान की प्रकिया का निर्धारण

21.1. ममता वाहन का लाभ उठाने के लिए गर्भवती महिला/बीमार बच्चे को केन्द्रीय/जिला कॉल सेन्टर App आधारित माध्यम पर कॉल किया गया हो ।

21.2. ममता वाहन के मालिक के लाभार्थी के घर पहुँचने के बाद App में लाभुक के मोबाईल में प्राप्त ओ०टी०पी० की प्रविष्टि की जाएगी।

21.3. वाहन मालिक को App में MCP कार्ड का विवरण दर्ज करना होगा।

21.4. ममता वाहन संचालन व्यवस्था के द्वारा निकटतम स्वास्थ्य संस्थान का चयन करते हुए वाहन मालिक को निदेशित किया जाएगा।

21.5. प्रभारी के अनुमोदन एवं App के GPS गणना के आधार पर वास्तविक किलोमीटर के अनुसार भुगतान की प्रकिया की जाएगी।

21.6. अप–रेफरल संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा के द्वारा App में सत्यापन के उपरांत ही भुगतान हो पाएगा।

21.7. अप–रेफरल के लिए अतिरिक्त किलोमीटर की गणना की जानी चाहिए और उपाधीक्षक/अस्पताल प्रबंधक द्वारा सत्यापित किये जाने पर App के माध्यम से भुगतान की प्रकिया की जानी है।

21.8. वाहन मालिक का भुगतान केवल online Banking/DBT के माध्यम से किया जाएगा।

21.9. Online App के संचालन बाधित होने की स्थिति में तथा नेट की अनुपलब्धता की परिस्थिति में Off Line mode से भी PFMS के द्वारा ममता वाहन का भुगतान किया जा सकता है।

74(5)
18.01.2023

21.10. जैसे ही उक्त App की online सेवा पुनः प्रारंभ हो जाती है या Internet की सेवा पुनः शुरू किये जाने के पश्चात offline की अवधि में हुये भुगतान को संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा online किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

22. ममता वाहन को रद्द करने की प्रक्रिया :

22.1. ममता वाहन की सेवाओं तथा चालक के व्यवहार आदि के संबंध में ऑनलाईन ऐप में Feedback की सुविधा रहेगी, जिसे दृष्टिगत रखते हुए ऐसे वाहनों से ममता वाहन सेवाएँ लेने अथवा नहीं लेने के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाएगी।

22.2. ममता वाहन चालक के व्यवहार के संबंध में उपयोगकर्त्ता व्यक्तियों के द्वारा शिकायत करने की स्थिति में तथा ममता वाहन संचालन की असंतोषजनक उपलब्धि के संबंध में जाँचोपरान्त ऐसे ममता वाहन के ममता वाहन निबंधन को विधिवत् रद्द कर दिया जाएगा।

22.3. ममता वाहन संचालक के साथ किये गए एकरारनामा की शर्त्तों का अनुपालन नहीं करने तथा संचालन हेतु आवश्यक वैधानिक कागजातों के अभाव में ऐसे ममता वाहनो के निबंधन को विधिवत् रद्द किया जा सकेगा।

23. <u>ममता वाहन को भुगतान हेतु दर एवं दूरी की अनुमान्यता</u> :

23.1 उपर्युक्त क्रम झारखण्ड राज्य में "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के कार्यान्वयन हेतु सुपात्र लाभुकों को ममता वाहन की सुविधा प्रदान करने हेतु वाहन मालिक को दी जाने वाली अनुमान्य राशि की दर निर्धारित करने हेतु गठित समिति के द्वारा दिनांक–20.10.2022 को समर्पित अनुशंसा के आलोक में ममता वाहन अंतर्गत प्रयुक्त वाहनों के लिए भाड़े की राशि को निम्नरूपेण संशोधित किये जाते हैं :

(क) घर से अस्पताल जाने हेतु प्रथम 06 कि0मी0–500/–रूपया, उसके बाद प्रति कि0मी0 13/–रूपया।

(ख) अस्पताल से वापस घर जाने के लिये 13/–रूपया प्रति कि0मी0।

23.2 इसके अलावा, राज्य के सुदूरवर्त्ती ग्रामीण क्षेत्रों मे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–86(5)ब दिनांक–28.01.2022 के द्वारा शुरु की गई बाईक एम्बुलेंस सेवा के विरूद्ध भुगतान हेतु उपर्युक्त समिति के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नरूपेण दर का निर्धारण किया जाता है :

(क) घर से अस्पताल जाने हेतु प्रथम 06 कि0मी0–150/–रूपया, उसके उपरान्त प्रति कि0मी0 5/–रूपया।

(ख) अस्पताल से वापस घर जाने के लिये 5/–रूपया प्रति कि0मी0 देय होगा।

23.3 किसी ममता वाहन को वाहन विश्राम स्थल से लाभुक के आवास तक, लाभुक के आवास से यथा निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्र तक लाभुक को पहुँचाने के क्रम में तय किये गये कि0मी0 के आधार पर ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

इस क्रम में ममता वाहन में अधिष्ठापित जी0पी0एस0 तथा चालक के द्वारा उपयोग किये जा रहे एन्ड्रायड मोबाईल फोन में अधिष्ठापित ममता वाहन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा।

74(5)
18.01.2023

24 पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या–306 दिनांक–05.03.2018 के द्वारा झारखण्ड राज्य में संचालित "ममता वाहन" के लिए भारत सरकार से स्वीकृत राशि की सीमा रू0 500/– को बढ़ाकर प्रति लाभार्थी रू0 800/– करने एवं इस अतिरिक्त राशि का प्रावधान राज्य योजना मद से करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2022–24 में भारत सरकार से प्राप्त ROP में "ममता वाहन" संचालन हेतु प्रति लाभार्थी अनुमोदित दर को रू0 500/– से बढ़ाकर रू 750/– किया गया है, जिस क्रम में इस राशि के अलावे पूर्व में राज्य योजना मद से स्वीकृत रू0 300/–प्रति लाभार्थी की दर

22.2. ममता वाहन चालक के व्यवहार के संबंध में उपयोगकर्त्ता व्यक्तियों के द्वारा शिकायत करने की स्थिति में तथा ममता वाहन संचालन की असंतोषजनक उपलब्धि के संबंध में जाँचोपरान्त ऐसे ममता वाहन के ममता वाहन निबंधन को विधिवत् रद्द कर दिया जाएगा।

22.3. ममता वाहन संचालक के साथ किये गए एकरारनामा की शर्त्तों का अनुपालन नहीं करने तथा संचालन हेतु आवश्यक वैधानिक कागजातों के अभाव में ऐसे ममता वाहनों के निबंधन को विधिवत् रद्द किया जा सकेगा।

23. <u>ममता वाहन को भुगतान हेतु दर एवं दूरी की अनुमान्यता</u> :

23.1 उपर्युक्त क्रम झारखण्ड राज्य में "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के कार्यान्वयन हेतु सुपात्र लाभुकों को ममता वाहन की सुविधा प्रदान करने हेतु वाहन मालिक को दी जाने वाली अनुमान्य राशि की दर निर्धारित करने हेतु गठित समिति के द्वारा दिनांक–20.10.2022 को समर्पित अनुशंसा के आलोक में ममता वाहन अंतर्गत प्रयुक्त वाहनों के लिए भाड़े की राशि को निम्नरूपेण संशोधित किये जाते हैं :

(क) घर से अस्पताल जाने हेतु प्रथम 06 कि0मी0–500/–रूपया, उसके बाद प्रति कि0मी0 13/–रूपया।

(ख) अस्पताल से वापस घर जाने के लिये 13/–रूपया प्रति कि0मी0।

23.2 इसके अलावा, राज्य के सुदूरवर्त्ती ग्रामीण क्षेत्रों मे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–86(5)व दिनांक–28.01.2022 के द्वारा शुरू की गई बाईक एम्बुलेंस सेवा के विरूद्ध भुगतान हेतु उपर्युक्त समिति के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नरूपेण दर का निर्धारण किया जाता है :

(क) घर से अस्पताल जाने हेतु प्रथम 06 कि0मी0–150/–रूपया, उसके उपरान्त प्रति कि0मी0 5/–रूपया।

(ख) अस्पताल से वापस घर जाने के लिये 5/–रूपया प्रति कि0मी0 देय होगा।

23.3 किसी ममता वाहन को वाहन विश्राम स्थल से लाभुक के आवास तक, लाभुक के आवास से यथा निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्र तक लाभुक को पहुँचाने के क्रम में तय किये गये कि0मी0 के आधार पर ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

इस क्रम में ममता वाहन में अधिष्ठापित जी0पी0एस0 तथा चालक के द्वारा उपयोग किये जा रहे एन्ड्रायड मोबाईल फोन में अधिष्ठापित ममता वाहन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा।

24 पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या–306 दिनांक–05.03.2018 के द्वारा झारखण्ड राज्य में संचालित "ममता वाहन" के लिए भारत सरकार से स्वीकृत राशि की सीमा रू0 500/– को बढ़ाकर प्रति लाभार्थी रू0 800/– करने एवं इस अतिरिक्त राशि का प्रावधान राज्य योजना मद से करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

74(5)
18.01.2023

वित्तीय वर्ष 2022–24 में भारत सरकार से प्राप्त ROP में "ममता वाहन" संचालन हेतु प्रति लाभार्थी अनुमोदित दर को रू0 500/– से बढ़ाकर रू 750/– किया गया है, जिस क्रम में इस राशि के अलावे पूर्व में राज्य योजना मद से स्वीकृत रू0 300/–प्रति लाभार्थी की दर

को बढ़ाते हुए रू0 500/– प्रति लाभार्थी बतौर अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जो लाभार्थी के द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के आधार पर अनुमान्य होगी।

25. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत राशि अधिकतम राशि को प्रति लाभार्थी रू 750/– से बढ़ाकर कुल रू 1250/– करने एवं इस अतिरिक्त राशि का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अतिरिक्त अनुदान निमित राज्य स्कीम बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–001 (789 एवं 796 सहित)–निदेशन और प्रशासन–64–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान 06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) अंतर्गत प्रावधानित राशि से वहन किया जाएगा।

26. पूर्व में दिनांक 08.02.2018 को आयोजित योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–306 दिनांक 05.03.2018 निर्गत किया गया था, जिस क्रम में विभागीय संलेख संख्या–1168(5) दिनांक 24.11.2022 में निहित उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.12.2022 की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में यह संकल्प निर्गत किया जा रहा है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए सरकारी राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

राँची, दिनांक–18.01.2023

ज्ञापांक–5/पी0(विविध)–95/2022 -74(5)/

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 300 (तीन सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

अपर मुख्य सचिव

राँची, दिनांक–18.01.2023

ज्ञापांक–5/पी0(विविध)–95/2022 -74(5)/

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

राँची, दिनांक–18.01.2023

ज्ञापांक–5/पी0(विविध)–95/2022 -74(5)/

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव